आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0-16/2023

रघुवंश शुक्ला

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

12.08.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1755/सा0, छपरा, दिनांक 22.11.2022 के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

जिलाधिकारी, सारण, छपरा के प्रासंगिक आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता श्री रघुवंश शुक्ला, तत्कालीन चौकीदार, हल्का नं0-05/7, थाना+अंचल-मढ़ौरा, जिला-सारण को सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलवाद इस स्तर पर लाया गया है।

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्त्ता श्री रघुवंश शुक्ला, तत्कालीन चौकीदार, हल्का नं0-05/7 को शराब के नशे में पाए जाने के कारण मढ़ौरा थाना कांड सं0-277/21, दिनांक 18.05.2021 दर्ज कराते हुए गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में अपीलकर्त्ता को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को संचालन पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी, मढ़ौरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् जॉच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने के आधार पर **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14(xi)** के आलोक में जिलाधिकारी, सारण, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1755/सा0, छपरा, दिनांक 22.11.2022 द्वारा अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलवाद इस स्तर पर दायर किया गया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्ता शराब का सेवन नहीं करते है तथा उक्त घटना के दिन भी उन्होने शराब नहीं पी रखी थी। उनके द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दर्ज कराए गए F.I.R में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि घटना के दिन अपीलकर्त्ता शराब के नशे में थे। उनके द्वारा आगे कहा गया कि स्थानीय शराब माफिया के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के सक्रियता के कारण स्थानीय शराब विक्रेता उनसे नाराज थे। इसी क्रम में एक दिन स्थानीय शराब माफियाओं द्वारा धक्का-मुक्की करते हुए अपीलकर्त्ता के पाकेट में शराब की बोतल रखकर उन्हें पकड़वा दिया गया है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2021 में प्रतिवेदित किया है कि मिर्जापुर शराब बिक्री का एक बड़ा केन्द्र है, जिसमें इस बात की संभावना है कि

अपीलकर्त्ता से स्थानीय शराब विक्रेता नाराज रहे हो, परन्तु जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं करते हुए अनुमान के आधार पर बिना किसी ठोस आधार के अपीलकर्त्ता के विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया है।

उक्त कथनों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के त्रुटियुक्त आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के ज्ञापांक 7576/र0का0, दिनांक 13.11.2021 से अपीलकर्त्ता के नशें में पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव दिनांक 19.05.2021 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रपत्र-'क' गठित कर जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय, सारण को भेजा गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 1836/सा0, दिनांक 14.12.2021 से विभागीय कार्रवाई संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, मढ़ौरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् संचालन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के पत्रांक 637, दिनांक 23.03.2022 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में यह तथ्य अंकित है कि तत्समय वे नशे की हालत में पाए गए तथा गौरा ओ0पी0 में ब्रेथ एनालाईजर मशीन में जॉच किए जाने पर इसकी पुष्टि की गयी हैं। इस तथ्य का अपीलकर्त्ता द्वारा न तो खंडन किया गया है और न ही इसके विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। विभागीय कार्यवाही प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने के आधार पर **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14(xi)** के प्रावधान में जिलाधिकारी, सारण के आदेश ज्ञापांक 1755/सा0 छपरा, दिनांक 22.11.2022 द्वारा अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया है।

उक्त के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर दंडादेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा कंडिका-3 में उल्लेखित अपने तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जा सका है। दूसरी ओर अपीलकर्त्ता को नशे की हालत में पाये जाने तथा गौरा ओ0पी0 में ब्रेथ एनालाईजर

ाशीन से उनके शराब का सेवन किये जाने की पुष्टि होने से उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाये गये है।

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के ज्ञापांक 1755/सा0, दिनांक 22.11.2022 द्वारा पारित आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।